14/2/20 पक्ष. पेश। वकील प्रार्थी उप. पक्ष. पर वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्र. में उपलब्ध दस्तावेज तथा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा. पत्र. किया गया। पत्र. फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला उदयपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सराडा जिला–उदयपुर (राज)

बजरिये श्री दिनेशचन्द धाकड आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 29 / 2019

उनवान

1 श्री कैलाश पिता स्व. शंकरलाल जैन उम्र 24 साल निवासी अदवास तहसील सराडा जिला उदयपुर (राज.)

– प्रार्थी

बनाम

1 श्री कजेचंद पिता कपूरचंद जैन उम्र 75 साल निवासी अदवास तहसील सराडा जिला उदयपुर (राज.)

2 श्रीमान उपपंजीयक महोदय जयसमंद (तहसीलदार सराडा) जिला उदयपुर (राज)

–विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी

::: निर्णय :::

दिनांक: 14.02.2020

❖ **उपस्थितिः–**

1. **श्री गेबीलाल मेहता– अभिभाषक प्रार्थीगण।**

संक्षेपतः– प्रार्थनापत्र के तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 आरटीए व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने एक वाद पत्र घोषणा व बंटबाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का विपक्षीगण के विरूद्ध पेश किया है तथा निवेदन किया है कि मौजा अदवास पटवार अदवास तहसील सराडा में खाता संख्या 44–49 संवत 2075–2078 आराजी नम्बर 6096/.03, 6376/.06, 6360/.08, 6431/.05, 6434/.08, 7383/.11, 7384/.09, 7402/.13, 7405/.04, 7406/.06, 7407/.06, 7420/.14, 7421/.14, 7759/.05 कुल किता 14 एवं कुल रकबा 1.12 हैक्टेयर खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि मूल पुरूष श्री कपूरचंद जैन के समय की है। कपूरचंद के दो पुत्र कजेचंद व कालुलाल है। कजेचंद के एक पुत्र शंकरलाल था जिसका स्वर्गवास हो चुका है। शंकरलाल के वारिस कैलाश व मंजूदेवी व मनीष हैं। प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि अभी भूमि का आधा हिस्सा प्रार्थीगण के दादा के नाम है तथा उसने धमकी दी है कि वह भूमि का बेचान कर देगा। जबकि उक्त आराजी स्वअर्जित न होकर पैत्रक सम्पत्ति है। इसलिए विपक्षीगण को पाबंद किया जावें कि वह उक्त आराजी का किसी अन्य को बेचान न करे तथा प्रार्थीगण को अपने हिस्से की आराजी से बेदखल न करे। यदि विपक्षी ने

उपखण्ड अधिकारी
सराडा, जिला उदयपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सराडा जिला – उदयपुर

बजरिये श्री दिनेशचन्द धाकड आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र सं. 29/2019

उनवान–कैलाश बनाम कजेचंद

प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

आराजी का बेचान कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए प्रार्थी को विपक्षी के विरूद्ध यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पेश करना पडा।

प्रार्थी ने प्रार्थना की कि प्रार्थी प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जावें कि वह वादग्रस्त आराजी का बेचान न करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 17.01.2020 को विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेष दिये गये। दिनांक 14.02.2020 को अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर एकतरफा बहस सुनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया। प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है और अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर विपक्षीगण को पाबन्द किया जाता कि विवादग्रस्त आराजी मौजा अदवास पटवार अदवास तहसील सराडा मे खाता संख्या 44–49 संवत 2075–2078 आराजी नम्बर 6096/.03, 6376/.06, 6360/.08, 6431/.05, 6434/.08, 7383/.11, 7384/.09, 7402/.13, 7405/.04, 7406/.06, 7407/.06, 7420/.14, 7421/.14, 7759/.05 कुल किता 14 एवं कुल रकबा 1.12 हैक्टेयर आराजी में प्रार्थी के हिस्से तक की राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति दावे के निस्तारण तक बनाये रखें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 14.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेशचन्द धाकड)
उपखण्ड अधिकारी
सराडा, जिला उदयपुर
सराडा (उदयपुर)

Scanned with CamScanner